निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 1021) पटना, सोमवार, 2 सितम्बर 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
2 सितम्बर 2019

एस० ओ० 356, दिनांक 2 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** में चालान के ब्यौरे देने के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो ऐसी विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे जिसकी उक्त व्यक्तियों से जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए उक्त नियमावली के नियम 45 के उपनियम (3) के अधीन **प्ररूप आईटीसी-04** देने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु उक्त व्यक्ति, अप्रैल से जून, 2019 तक की तिमाही के लिए **प्ररूप आईटीसी-04** की क्रम संख्या 4 में, जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की अवधि में छुटपुट काम करने वाले कर्मकार को भेजे गए ऐसे माल के संबंध में सभी चालानों के ब्यौरे देंगे, जो कर्मकार से वापस प्राप्त नहीं हुआ है या जिसका छुटपुट काम करने वाले कर्मकार के स्थान से प्रदाय नहीं किया गया है ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

[(सं० सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–6) 2589)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव ।

2 सितम्बर 2019

एस० ओ० 356, दिनांक 2 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–6) 2589)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव ।

The 2nd September 2019

S.O. 356, Dated 2nd September 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to furnish the details of challans in **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), read with section 143 of the said Act, as the class of registered persons who shall follow the special procedure such that the said persons shall not be required to furnish **FORM ITC-04** under sub-rule (3) of rule 45 of the said rules for the period July, 2017 to March, 2019:

Provided that the said persons shall furnish the details of all the challans in respect of goods dispatched to a job worker in the period July, 2017 to March, 2019 but not received from a job worker or not supplied from the place of business of the job worker as on the 31st March, 2019, in serial number 4 of **FORM ITC-04** for the quarter April-June, 2019.

2. This notification shall come into force with effect from 31st August, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-6)2589)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1021-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in